# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 184 / 2023 दायर दिनांकः 14.07.2023

GCMS NO:- 2023/294 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बदरा बाई पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।
2. श्रवण आ0 ग्यारसीलाल जाति धाकड नि0 रजलावता तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

**बनाम**

1. मदनमोहन आ0 रामप्रसाद जाति धाकड नि0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
2. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट**

**उपस्थिति–**

**प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।**

**अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।**

**निर्णय दिनांक 27.08.2025**

## :–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 355 पुराना 331 की खसरा संख्या 1634 / 192 रकबा 0.8090 हैक्टयर एवं खाता संख्या नया 311 पुराना 291 की खसरा संख्या 192 रकबा 0.9870 हैक्टयर स्थित है जिसमे प्रार्थीगण काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि पर वर्षो से खसरा नम्बर 197 गै0म0 रास्ता जो रजलावता से बंबूली जाने वाली आम सडक से होते हुए खसरा नम्बर 195 के पूर्वी ओर से होकर अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1634 / 192 व खसरा नम्बर 192 पर पहुंचते है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि दिनांक 30.6.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के उक्त रास्ते की भूमि को अवरूद्व कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को लगने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि यह तो हमारा वर्षो पुराना आने जाने का रास्ता है, इसे क्यों बंद कर रहे हो तो अप्रार्थी संख्या 1 कहने लगा कि यहां कोई सरकारी रास्ता नही है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। अब मैं तुम्हे यहां पर होकर नही निकलने दूंगा, तुमसे हो सो कर लो। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते को दर्ज करवाकर उक्त रास्ते को 25 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे मे तरमीम करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण रास्ते मे आने वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा दिनांक 15.02.2024 को वकालातनामा पेश किया गया था लेकिन उनके द्वारा आदिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। चुंकि धारा 251क एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है लेकिन विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही किया जा रहा जिससे जवाब पेश करने की मोहलत बंद की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 15.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक / राजस्व / 2025 / 282 दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि पर वर्षो से खसरा नम्बर 197 गै0मु0 रास्ता जो रजलावता से बंबूली जाने वाली आम सडक से होते हुए खसरा

नम्बर 195 के पूर्वी ओर से होकर अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1634/192 व खसरा नम्बर 192 पर पहुंचते है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरन बंद कर दिया जिसे राजस्व नक्शे मे दर्ज कर उक्त रास्ते को बहाल करवाया जावे। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 अनुसार भी यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1634/192 व 192 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के अनुसार खसरा नम्बर 197 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 195 मे से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के अनुसार ग्राम रजलावता स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1634/192 व 192 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 682 से 197 किस्म गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 195 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

## रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

| खसरा नं0 | खातेदार | किस्म | लम्बाई | **X** | चौडाई | **क्षेत्रफल** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | मदनमोहन धाकड (खातेदारी) | बारानी 3 | 29 गट्ठा | X | 2 गट्ठा | 58 वर्गगट्ठा |

**अर्थात 0.0232 हैक्टयर**

**कुल क्षेत्रफल = 58 वर्गगट्ठा या 0.0232 हैक्टयर**

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

मौका नजरी नक्शा

ग्राम - रजलावता

तह. नैनवां

जिला - बूंदी

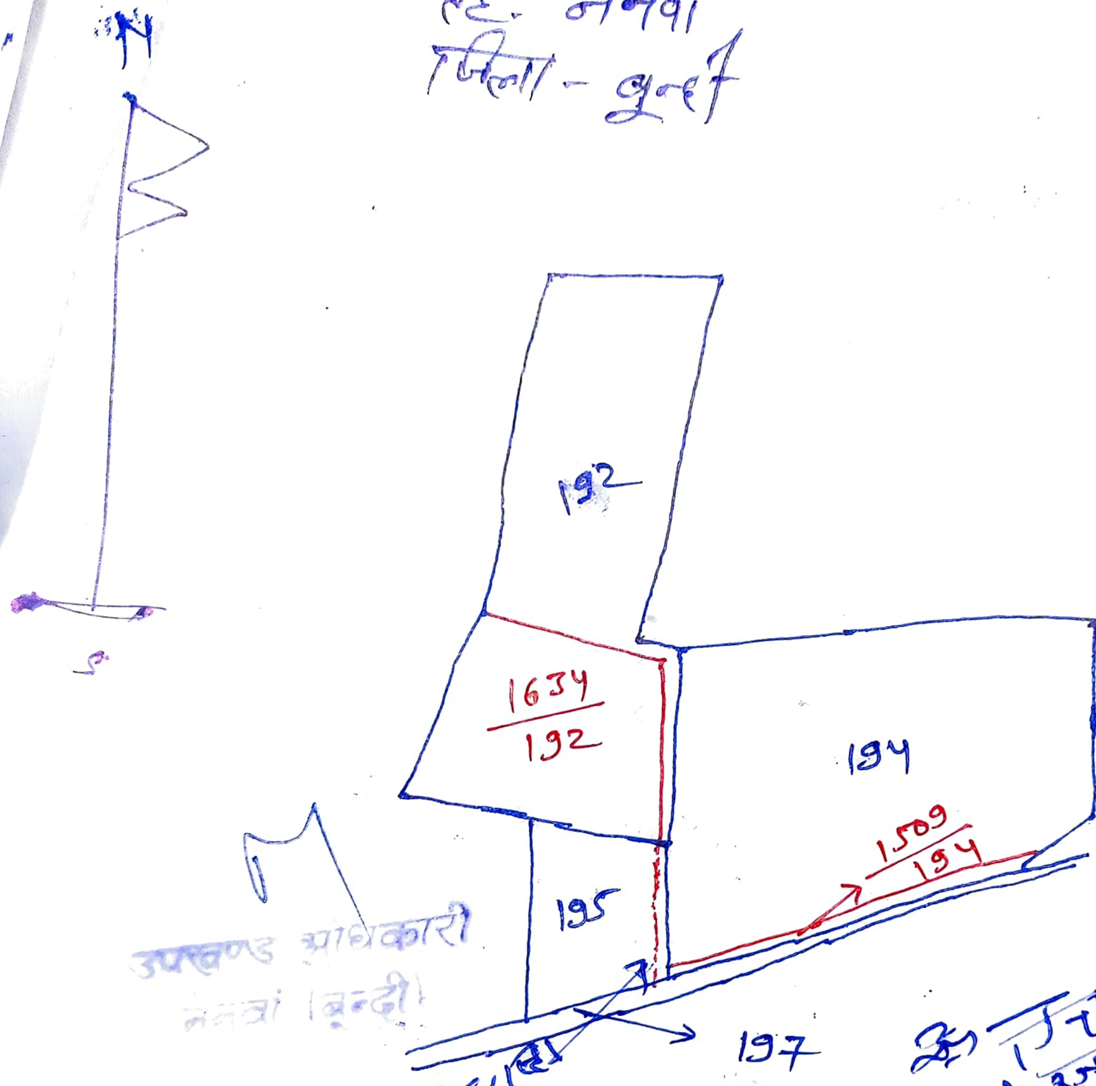


01.07.25

रजलावता